न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 124/2019

1. **श्री नन्हे खां पुत्र रहमान खां जाति तेली मुसलमान, निवासी अरवड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।**

—प्रार्थीगण

बनाम

1. **श्री इकबाल मोहम्मद पुत्र नन्हें खां, जाति तेली मुसलमान निवासी अरवड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।**

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री सज्जन कुमार चौधरी, प्रार्थी।
2. श्री उंकार लाल जाट, अप्रार्थी।

निर्णय दिनांकः— 30.12.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादवर्णित आराजी मौजा ग्राम अरवड़ व गोयला तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

(अ) विवरण आराजी ग्राम अरवड़

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
120	424	0.2000	चा.2
	426	0.3700	चा.2
	722	0.1200	बा.1
	844	0.1400	चा.3

उपरोक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है।

(ब) विवरण आराजी ग्राम अरवड़

121	425	0.2800	चा.2
	427	0.4200	चा.2
	429	0.4400	चा.2
	430	0.0100	गै.मु.चाह
	466	0.4000	पेटा, ता.2
	723	0.1700	बा.1
	845	1.0100	चा.3
	1153	0.5300	बा.1
	1227	0.4800	बा.1
	1346	0.9300	बा.2
	1411	0.6400	बा.2

उपरोक्त आराजी प्रार्थी व उसके परिजनों के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की है।

(स) विवरण आराजी ग्राम अरवड़

334	434	0.3100	बा.1

उपरोक्त आराजी प्रार्थी व उसके परिजनों के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की है।

(द) विवरण आराजी ग्राम अरवड़

338	431	0.2500	गै.मु.पाल

उपरोक्त आराजी प्रार्थी व उसके परिजनों के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की है।

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

(य) विवरण आराजी ग्राम अरवड़

			गै.मु.चाह
339	843	0.0200	

उपरोक्त चाह प्रार्थी व उसके परिजनों के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की है।

(र) विवरण आराजी ग्राम अरवड़

			पेटा, ता.2
352	389	0.3500	
			पेटा, ता.3
	432	0.1500	

उपरोक्त आराजी प्रार्थी व उसके परिजनों के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की है।

(ल) विवरण आराजी ग्राम गोयला

			बा.3
274	2	1.4500	

उपरोक्त आराजी प्रार्थी खातेदारी व कब्जेकाश्त की है।

यह कि प्रार्थी वृद्ध है। उक्त आराजी ही उसके जीवनयापन का सहारा है तथा इसी आराजी से प्राप्त आय से अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करता आ रहा है। यह कि उक्त आराजी से अप्रार्थी का किसी प्रकार का वास्ता सरोकार नहीं है। यह कि अप्रार्थी की नियत बद है। ऐन केन प्रकारेण प्रार्थी को उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखल कर अपना नाजायज रूप से कब्जा आधिपत्य करने पर आमादा है। इसी दुराशय की पूर्ति में अप्रार्थी ने दिनांक 02.10.2019 को प्रार्थी को धमकी दी कि अब तेरे सभी खेतों पर कब्जा करके रहूंगा तथा तुझे फसल काश्त नहीं करने दूंगा। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यह कि अप्रार्थी जबरन लाठी व ताकत के बल पर प्रार्थी को वाद वर्णित अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। अगर अप्रार्थी ऐसा करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तियुक्त क्षति होगी। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम अरवड़ संवत् 2069–2088 खाता सं. 120
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम अरवड़ संवत् 2069–2088 खाता सं. 121
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम अरवड़ संवत् 2069–2088 खाता सं. 334
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम अरवड़ संवत् 2069–2088 खाता सं. 338
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम अरवड़ संवत् 2069–2088 खाता सं. 339
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम अरवड़ संवत् 2069–2088 खाता सं. 120
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम गोयला संवत् 2069–2088 खाता सं. 120

अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में निवेदन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या व निराधार है एवं पूर्णतया खारिज होने योग्य है। यह कि उक्त आराजीयात स्व अर्जित न होकर पुश्तैनी आराजीयात है। जिस पर अप्रार्थी का जन्म से ही अधिकार है। यह कि वादी ने न तो सजरा पेश किया जबकि प्रार्थी के दो पुत्र व पुत्रिया है। उक्त आराजीयात पुश्तैनी है। अप्रार्थी के हिस्से में आयी आराजीयात को अन्य व्यक्ति को बेचान करना चाहता है।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों, बहस प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों पर गहन विधिक मनन किया गया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड

Scanned by CamScanner

हमान खा

खातेदार है तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मुस्लिम विधि प्रस्तुत की गई और निवेदन किया कि मुसलमानों में जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी का पूर्व में ही मौखिक बंटवारा हो चुका है एवं उसी अनुसार कब्जे काश्त है। उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार का सेटल पेजशन माने जाने की अवधारणा है एवं बंटवारे एवं कब्जे के बाबत अप्रार्थीगणों द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य हेतु पेश नहीं किए है। अतः प्रार्थी का सेटल पजेशन मानते हुए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

चूंकि प्रार्थी के पक्ष में पृथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी को ही संभावित है।

पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्य की संभावना को कम करने तथा पक्षकारान् के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखल ना करे तथा भूमि के मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाए रखें।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.18 16:46:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: